न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
686/2024	30.07.2024	08-09-2025

उनवान

1. श्री हीरालाल पुत्र बगतावर खटीक, निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपाल पुत्र नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती दुर्गी पुत्री नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती ममता पुत्री नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
4. श्री राधेश्याम पुत्र नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
5. श्री लादू पुत्र नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
6. श्रीमती सरोज पुत्री नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
7. श्रीमती हगामी पत्नी नारायण बारेठ, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास राज0

—— विपक्षीगण

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री कैलाशचन्द्र सोमाणी
2. विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 08 की और से पैरोकार सरकार।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 भूमि लगी हुई ग्राम आमा पटवार हल्का आमा, भू0अ0नि0 बडलियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी 377 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षीगण संयुक्त खातेदार है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। इस भूमि के पश्चिम में आराजी नम्बर 373 स्थित है। आराजी नम्बर 373 से पश्चिम दिशा में स्थित है जो 377 के लगी हुई है। आराजी नम्बर 373 में से एक बिघा भूमि विपक्षीगण ने आवंटित कराई जिसमें से 01 बीघा भूमि इनके हिस्से यानी मेरे आराजी नम्बर 377 से दक्षिण में मेरी मेड से लगी हुई है, जो आराजी नम्बर 377 का हिस्सा लगा हुआ है किन्तु इन्होने नए सिरे से आराजी नम्बर 373 में से 01 बीघा भूमि आवंटित कराई तथा खातेदारी में दर्ज की इसको नक्शे में इनके हिस्से आराजी नम्बर 377 के पश्चिम से लगी हुई भूमि 01 बीघा भूमि आवंटित की गई तथा नक्शे में भी उसी जगह दर्ज होनी चाहिए, किन्तु हल्का पटवारी ने मेरी हिस्से के भूमि के सामने की भूमि जो आराजी नम्बर 377 के सामने भी पेमोद (तरमीम) कर दी है जो गलत है। विपक्षीगण 01 लगायत 07 के जो हिस्सा आराजी नम्बर 377 का हिस्सा 1/2 हिस्सा है उस हिस्से के सामने ही कि 01 बीघा भूमि इनके तरमीम होनी चाहिए किन्तु हल्का पटवारी ने मेरे हिस्से की भूमि आराजी नम्बर 377 के सामने भी पश्चिम दिशा में तरमीम कर दी जो गलत तरमीम की है जिससे न्याय हित में विपक्षीगण की भूमि के सामने ही तरमीम करना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षीगण 01 लगायत 07 के हिस्से में 1/2 हिस्सा आराजी नम्बर 377 का है उसी भूमि से लगी हुई भूमि पश्चिम दिशा की 01 बीघा भूमि आवंटित की गई जो आराजी नम्बर 373 से आवंटित की गई इस भूमि को यानी आराजी नम्बर 377 जो विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 के कब्जा कास्त में है उसके सामने ही पश्चिम दिशा आराजी नम्बर 373 आवंटित हुई तथा उसी अनुसार तरमीम किया जाना न्याय हेतु आवश्यक है। अतः निवेदन है कि ग्राम आमा पटवार हल्का आमा भू.अभि.नि. बडलियास, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा राज. कि वर्तमान आराजी नम्बर 373 राजस्व नक्शे में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 के नाम पर दर्ज है इस आराजी को नक्शे में तरमीम इनके आराजी नम्बर 377 है उसके सामने है कि तरमीम किया जावें जिससे प्रार्थी वादी की हिस्से की जमीन में यानी आराजी नम्बर 377 का 1/2 हिस्सा है जिस पर वादी प्रार्थी काबिज है उसके सामने से हिस्से से इनकी भूमि को नक्शे में से हटाकर इनके हिस्से की भूमि के सामने तरमीम किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये प्रकरण में नायब तहसीलदार बडलियास द्वारा पत्रांक 204 दिनांक 27.03.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम आमा की आराजी संख्या 377 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण का 1/2 एवं 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं मौके पर दोनो ने उक्त शामलाती आराजी का बंटवारा कर उत्तर की तरफ वादी का कब्जा एंव दक्षिण की तरफ प्रतिवादीगण का कब्जा है। एंव दोनो के पश्चिम दिशा में आराजी सख्या 373/4 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण के आराजी न. 373/4 जो कि आवंटन शुदा भूमि है। जिसकी आंवटन पत्रावली का नक्शा पेश किया जिसमे भी वर्तमान ऑनलाइन नक्शो के मुताबिक ही तरमीम है। एंव प्रतिवादीगण का कब्जा है। किन्तु प्रार्थी आराजी सं. 377 के अपने कब्जे के सामने से आराजी 373/4 की तरमीम हटवाना चाहता है। जबकि आराजी सं. 373/4 की तरमीम आंवटन पत्रावली के पैमुदगी के नक्शे के मुताबिक सही है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। ग्राम आमा की आराजी संख्या 377 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण का 1/2 एवं 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं मौके पर दोनो ने उक्त शामलाती आराजी का बंटवारा कर उत्तर की तरफ वादी का कब्जा एंव दक्षिण की तरफ प्रतिवादीगण का कब्जा है। एंव दोनो के पश्चिम दिशा में आराजी सख्या 373/4 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण के आराजी न. 373/4 जो कि आवंटन शुदा भूमि है। जिसकी आंवटन पत्रावली का नक्शा संलग्न है जिसमे भी वर्तमान ऑनलाइन नक्शे के मुताबिक ही तरमीम है एंव प्रतिवादीगण का कब्जा है। किन्तु प्रार्थी आराजी सं. 377 के अपने कब्जे के सामने से आराजी 373/4 की तरमीम हटवाना चाहता है। जबकि आराजी सं. 373/4 की तरमीम आंवटन पत्रावली के पैमुदगी के नक्शे के मुताबिक सही है। नायब तहसीलदार बडलियास की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतःएव्

—:आदेश :—

अतः नायब तहसीलदार बडलियास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा